i;Vu] dyk lLdfr] [kydn ,o ;ok dk;l foHkkx
>kj[k.M ljdkj

ekuuh; v/;{k egksn;]

आपकी अनुमति से मैं झारखण्ड राज्य में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का वित्तीय वर्ष 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 2016–17 का कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

(पर्यटन प्रभाग)

परिदृष्टि

पर्यटन की दृष्टि से झारखंड का श्रृंगार प्रकृति ने स्वयं किया है। प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित झारखण्ड राज्य में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएँ हैं। वन–पर्वतों से आच्छादित, निरंतर प्रवाहित नदियों से अभिसिंचित, घने जंगल, पहाड़ियों, घाटियों, जल–प्रपात, अभ्यारण्य एवं प्राचीन इतिहास, सभ्यता–संस्कृति से पूर्ण हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से अति मनमोहक एवं समृद्ध है। हमें झारखण्ड में पर्यटन के विकास की संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटकों के लिए न केवल आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है, बल्कि झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहरों के साथ समन्वित विकास करते हुए झारखंड को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करना है। हमारा विश्वास है कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए, परम्परागत आतिथ्य भाव के साथ समूचित पर्यटकीय सुविधाएं निकट भविष्य में हम दे पायेंगे और पर्यटन को वास्तविक रूप से उद्योग के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

वर्त्तमान में पर्यटन न केवल राज्य के आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है, अपितु यह काफी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराने में भी अहम् भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

राज्य गठन के पश्चात् विभागीय प्रयासों के फलस्वरूप झारखंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संकलित तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार झारखण्ड में पर्यटकों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जहाँ वर्ष 2000 में देशी पर्यटकों की संख्या 23,991 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 172 थी, वहीं वर्ष 2011 में राज्य में कुल देशी पर्यटकों की संख्या 1,45,80,387 तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 87,521 हो गयी। वर्ष 2015 में झारखंड राज्य में आने वाले कुल देशी पर्यटकों की संख्या 3,31,79,530 तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,67,855 रही। वर्ष 2014 में झारखंड राज्य देशी पर्यटकों की संख्या के हिसाब से देश में 9वें स्थान पर रहा। जो वर्ष 2009 में 15वें स्थान पर था। राज्य में पर्यटकों की लगातार वृद्धि राज्य में पर्यटन के विकास को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग अन्तर्गत पर्यटन प्रभाग के लिए राज्य योजनान्तर्गत 120.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है, जिसमें अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 70.20 करोड़ रुपये एवं जनजातीय उपयोजनान्तर्गत 49.80 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

राज्य में भारत सरकार के सहयोग से होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना ब्राम्बे, राँची में की जा रही है। इसे पूर्वी क्षेत्र के एक उच्च स्तरीय संस्थान के रुप में विकसित किया जायेगा। यह योजना लगभग 27.00 करोड़ की है। इसमें एकेडमिक भवन के साथ आवासीय सुविधा भी होगी।

NGO एवं स्थानीय लोगों की सहभागिता से राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों के साफ–सफाई, सुरक्षा आदि के लिए प्रबंधकीय अनुदान अंतर्गत 5.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

विभाग के अन्तर्गत पर्यटन से संबंधित विभिन्न कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आधुनिक सुविधा जैसे – वाई फाई आदि उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण अन्तर्गत 5.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

झारखण्ड पर्यटन को राज्य एवं राज्य के बाहर प्रचार–प्रसार के निमित्त आयोजित होने वाले मेला–त्योहार/प्रदर्शनी/सेमिनार/मुद्रण आदि के लिए तथा राज्य में क्षेत्रीय, राष्टीय एवं अंतर्राष्टीय मेला आयोजित करने के लिए प्रचार–प्रसार अंतर्गत 15.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्रस्तावित हैं।

राज्य के विभिन्न टूरिस्ट सर्किट एवं गंतव्यों के लिए पर्यटकों की सुविधा हेतु उच्च स्तरीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा राज्य में पर्यटन से संबंधित परिसम्पतियों तथा पर्यटन स्थलों के प्रबंधन उन्नयन, प्रचार, साफ–सफाई आदि एवं राज्य के गरीब नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थल/पर्यटन स्थल की यात्रा कराने हेतु JTDC को वित्तीय सहायता के रुप में कुल 5.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार अन्तर्गत हुनर से रोजगार योजना एवं पर्यटकों को आधारभूत सुविधा एवं अतिथि सत्कार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से टूर ऑपरेटरों, ट्रेवेल एजेन्ट, गाईड, कुक, वेटर, NGO आदि को प्रशिक्षण दिलाने हेतु पर्यटन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास अंतर्गत 2.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, धार्मिक पर्यटन/ग्रामीण पर्यटन /हेरिटेज पर्यटन /खनन पर्यटन/होटल, टुरिस्ट कॉम्पलेक्स, पर्यटक सूचना केन्द्र आदि का उन्नयन/भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडवेंचर टूरिज्म इत्यादि के निर्माण एवं विकास कार्य अन्तर्गत चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु 20.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

नयी योजनान्तर्गत पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, धार्मिक पर्यटन/ग्रामीण पर्यटन/हेरिटेज पर्यटन/खनन पर्यटन/होटल, टुरिस्ट कॉम्पलेक्स, पर्यटक सूचना केन्द्र आदि का उन्नयन भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडवेंचर टूरिज्म इत्यादि का निर्माण तथा विकास आदि हेतु 54.00 करोड़ रु० का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

देश के प्रमुख शहरों में पर्यटक सूचना केन्द्र खोलने तथा कोलकाता, नई दिल्ली, मुम्बई तथा अहमदाबाद में चल रहे पर्यटक सूचना केन्द्रों के संचालन हेतु 2.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

विभागीय अभियंत्रण कोषांग के स्थापना व्यय तथा विभिन्न परामर्शी सेवाएँ प्राप्त करने हेतु 7.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० की हिस्सा पूँजी हेतु 2.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

झारखण्ड पर्यटन नीति, 2015 के तहत् विभिन्न एजेंसियों/उद्यमों को प्रोत्साहन देने हेतु 1.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 100.00 करोड़ रु० का योजना उद्व्यय स्वीकृत किया गया। इस वर्ष में चालू योजनाओं को पूर्ण करने के साथ–साथ राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों के विकास हेतु नई योजनाओं की स्वीकृति पर बल दिया गया। इस बीच पर्यटन क्षेत्र में विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्न प्रकार रही –

1- पर्यटन नीति, 2015 लागू की गई।

2- पर्यटन स्थल (प्रबंधन एवं रख–रखाव) अधिनियम, 2015 लागू की गई।

3- झारखण्ड पर्यटन विकास एवं निबंधन अधिनियम, 2015 लागू की गई।

4- झारखण्ड नौका नियमावली, 2014 लागू की गई है।

5- श्रावणी मेला (देवघर–दुमका) का प्रबंधन तथा संचालन हेतु ''बाबा बैद्यनाथ धाम – बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2015 लागू की गई।

6- झारखण्ड पर्यटन विकास एवं निबंधन अधिनियम, 2015 के तहत् पारसनाथ पर्यटन विकास प्राधिकार एवं रजरप्पा पर्यटन विकास प्राधिकार का गठन किया गया है।

7- राजकीय मेला/महोत्सव घोषित करने की नियमावली लागू की गई है।

8- पर्यटन स्थल (प्रबंधन एवं रख–रखाव) अधिनियम, 2015 के तहत् पर्यटन स्थलों के चिन्हितिकरण हेतु नियमावली तैयार की जा रही है।

9- पर्यटन नीति, 2015 के तहत् Jharkhand Tourist Home Stay Scheme हेतु नियमावली तैयार की जा रही है।

10- पर्यटन नीति, 2015 के तहत् मा० मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का गठन किया गया है।

11- झारखण्ड पर्यटन विकास एवं निबंधन अधिनियम, 2015 के तहत् Jharkhand Tourist Trade Registration Rule तैयार किया जा रहा है।

12- विश्व पर्यटन दिवस, 2015 के अवसर पर झारखण्ड थाली का मोचन किया गया। दिनांक 26 जनवरी से 29 जनवरी, 2016 तक लाल किला, दिल्ली में आयोजित भारत पर्व में झारखण्ड थाली का प्रचार–प्रसार (Promotion) किया गया।

13- हुनर से रोजगार कार्यक्रम के तहत् वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 690 अभ्यार्थियों को पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में अल्प अवधि प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

14- रजरप्पा मंदिर कम्पलेक्स के विकास कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। भैरवी नदी पर Hanging Bridge निर्माण कार्य हेतु Rites Ltd को परामर्शी नियुक्त करते हुए DPR तैयार कराया जा रहा है।

15- काँके डैम, राँची के पार्क परिसर में Sound & Light Show का अधिष्ठापन किया जा चुका है। शीघ्र ही इसका परिचालन प्रारंभ किया जायेगा।

16- देवघर में प्रकाश एवं ध्वनी शो का अधिष्ठापन किया गया है। JTDC Ltd. द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है।

17- होटल प्रबंधन संस्थान, ब्राम्बें, राँची की स्थापना कार्य अंतिम चरण में है।

18- क्यू–कॉम्पलेक्स, देवघर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

19- अब तक 11 मार्गीय सुविधा, 14 टूरिस्ट कॉम्पलेक्स, 7 पर्यटक सूचना केन्द्र तथा 8 विविध कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया है।

20- पारसनाथ (गिरिडीह) में वंदना पथ का उन्नयन एवं सोलर लाईट का अधिष्ठापन डोली वाले के लिए आश्रय गृह निर्माण तथा पार्किंग का विकास की स्वीकृति प्रदान की गई है।

21- धरती आबा ''बिरसा मुण्डा'' से संबंधित स्थलों– उलिहातु एवं डोम्बारीबुरू का सम्पूर्ण पर्यटकीय विकास तथा सुतियाबें (राँची) का सम्पूर्ण पर्यटकीय विकास कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है।

22- पतरातु (रामगढ़) को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने हेतु KPMG को परामर्शी नियुक्त करते हुए DPR तैयार कराया जा रहा है।

23- राज्य में वर्ष 2011 में जहाँ देशी पर्यटकों की संख्या – 1,45,80,387 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या – 87,521 थी वहीं वर्ष 2015 में देशी पर्यटकों की संख्या 3,30,79,530 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,67,855 रही।

24- झारखण्ड में पर्यटन को ''उद्योग'' का दर्जा दिया गया है, फलस्वरूप पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर के दृष्टिकोण से वाह्य स्रोत (PPP Mode एवं Out Sourcing)/SHG/NGO के माध्यम से होटलों, टुरिस्ट कॉम्पलेक्सों आदि के संचालन का कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।

25- अबतक कुल 58 परिसम्पतियों का निर्माण कर वाह्य स्रोत (PPP Mode एवं Out Sourcing)/SHG/NGO के माध्यम से संचालन हेतु झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० को हस्तांतरित किया गया है।

26- होटल प्रबंधन संस्थान कैटरिंग टेक्नोलॉजी एवं एप्लाइड न्युटन्रीशन, झारखण्ड, राँची की स्थापना हेतु शैक्षणिक ब्लॉक, होस्टल, प्रशासनिक भवन, जलापूर्त्ति व्यवस्था इत्यादि एवं उपकरण हेतु कुल 26,07,15,700.00 की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

27- झारखंड राज्य में देशी/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से आधारभूत पर्यटकीय संरचनाओं को बेहतर बनाने हेतु पर्यटन विभाग कृत संकल्प है।

foHkkx ¼i;Vu iHkkx½ vUrxir dk iekk[k pky ;ktukvk dh lph fuEu g &

Øekd	;ktuk dk uke	i× Lohd`r jkf'k	ftyk
1	2	3	4
1	देवघर जिलान्तर्गत सारठ प्रखण्ड अजय कराज सिकटिया में द्वितीय टुरिस्ट कॉम्पलेक्स का निर्माण	23000000.00	देवघर
2	देवघर जिला के करौं प्रखण्ड अन्तर्गत बाबा नायकधाम परिसर का पर्यटकीय विकास।	9901459.00	देवघर
3	क्यू–कम्पलेक्स, देवघर का निर्माण	380000000.00	देवघर
4	गोड्डा जिलान्तर्गत बसंतराय तालाब के निकट अतिथिशाला निर्माण	8000000.00	गोड्डा
5	गोड्डा जिलान्तर्गत पोडैयाहाट प्रखण्ड स्थित पिण्डराहाट पंचायत अन्तर्गत सिदबॉक में बाबा महरीनाथ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकास।	8912386.00	गोड्डा
6	गोड्डा जिलान्तर्गत ठाकुरगंगटी प्रखण्ड स्थित वास्ता पहाड़ी शिव मंदिर धाम का पर्यटकीय विकास।	9010408.00	गोड्डा
7	गोड्डा जिलान्तर्गत ठाकरगंगटी प्रखण्ड स्थित मो० पहाड़ी में माँ खरहरी देवी धाम का पर्यटकीय विकास।	9039200.00	गोड्डा
8	गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा प्रखण्ड स्थित जमनी पहाड़पुर में सिंवाहिनी मंदिर का पर्यटकीय विकास।	11174338.00	गोड्डा
9	गढ़वा जिलान्तर्गत गढ़देवी के पास Market Complex -cum- Marriage Hall निर्माण	10803200.00	गढ़वा
10	हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के पाण्डेश्वरवारा स्थित विश्वकर्मा मंदिर का सौन्दर्यीकरण	16688000.00	हजारीबाग
11	गिरिडीह जिलान्तर्गत मधुवन, पारसनाथ में पार्किंग सुविधा का विकास	20069000.00	गिरिडीह
12	गिरिडीह जिलान्तर्गत मधुवन, पारसनाथ स्थित वन्दना पथ का उन्नयन	34809000.00	गिरिडीह
13	गिरिडीह जिलान्तर्गत मधुवन, पारसनाथ में डोलीवाला के लिए आश्रय गृह (Shelter for Doliwala) का निर्माण	47212300.00	गिरिडीह
14	रामगढ़ जिलान्तर्गत रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कम्प्लेक्स का विकास	39615000.00	रामगढ़
15	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत सूर्य मंदिर के पास पार्क एवं सोन मंडप का सौन्दर्यीकरण	9873975.00	पूर्वी सिंहभूम
16	सरायकेला–खरसावॉ जिला के चांडिल प्रखण्ड अन्तर्गत जायदा मंदिर के सौन्दर्यीकरण कार्य	23198700.00	सरायकेला–खरसावॉ
17	धरती आबा 'बिरसा मुण्डा' से संबंधित स्थलों 'उलिहातू एवं डोम्बारीबुरू का पर्यटकीय विकास	53840700.00	खूँटी
18	राँची जिला के पिठोरिया स्थित सुतियाम्बे का संपूर्ण पर्यटकीय विकास	49436300.00	राँची
19	होटल प्रबंधन संस्थान, ब्राम्बे, राँची	26075700.00	राँची

वित्तीय वर्ष 2016–17 का कार्य प्रतिवेदन

भूमिका

झारखण्ड की समृद्ध संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासत, अनगिनत धार्मिक स्थल, जल क्रीड़ा हेतु अनगिनत जलाशय, गर्म जल के झरने, वन्य प्राणी आश्रयणियाँ, घने जंगल इत्यादि राज्य को पर्यटकों हेतु सर्वोत्तम गंतव्य बनाने के लिए पर्याप्त है।

राज्य सरकार का यह अटूट विश्वास है कि पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास से न केवल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे बल्कि राज्य के त्वरित आर्थिक विकास में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा, राज्य की समृद्ध परम्पराओं एवं सांस्कृतिक विरासत का भी प्रदर्शन किया जा सकेगा, जिसके माध्यम से अन्य प्रक्षेत्रों के विकास में भी सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा दिया है।

पर्यटन प्रक्षेत्र के तीव्र विकास हेतु पर्यटक सर्किटों एवं गंतव्यों के विकास की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न पर्यटक सुविधाएँ, मार्गीय सुविधाएँ, आवासन सुविधाएँ, आवागमन सुविधाएँ एवं अन्य आतिथ्य सेवाएँ विकसित करने की आवश्यकता है।

पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र, स्थानीय ग्रामीणों एवं अन्य स्टेक होल्डरों की सहभागिता भी परम आवश्यक है, जिसके फलस्वरूप न केवल सृजित की गयी परिसम्पत्तियों के रख–रखाव एवं संधारण में सहायता मिलेगी, बल्कि ऐसी परिसम्पत्तियों का लम्बे समय तक पर्यटकों द्वारा लाभ उठाया जा सकेगा।

उद्देश्य

(1) पर्यटन विकास को प्राथमिकता सूची में सम्मिलित करना।
(2) अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में झारखण्ड को पर्यटकों हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
(3) वर्त्तमान पर्यटक सुविधाओं को बेहतर करते हुए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना।
(4) पर्यटन विकास हेतु अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचनाओं को स्थापित करना।
(5) पर्यटन विकास हेतु प्रभावी प्रचार–प्रसार करते हुए पर्यटन विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करना।

राज्य योजना मद से संचालित योजनाएँ

1. प्रचार–प्रसार

प्रचार–प्रसार का पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्रम में प्रिंट मिडिया, इलेक्टॉनिक मिडिया, फिल्में, वेबसाईट इत्यादि के माध्यम से प्रचार किया जाएगा जिससे राष्टीय एवं अन्तर्राष्टीय पर्यटन मेलों, महोत्सवों, प्रदर्शनियों इत्यादि में भाग लेते हुए राज्य की पर्यटन सुविधाओं का प्रचार–प्रसार किया जा सके।

2.प्रशिक्षण एवं कौशल का विकास

मुख्य रूप से BPL/SC/ST को प्रशिक्षण एवं पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए हुनर से रोजगार योजनांतर्गत राज्य के नवयुवकों के कौशल विकास सहित पर्यटन उद्योग में कार्यरत सरकारी/गैर–सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों में व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु आतिथ्य सेवाओं, इत्यादि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

3.कंप्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण

राज्य के विभिन्न टूरिस्ट कॉम्पलेक्सों एवं सूचना केन्द्रों को सम्पर्क के आधुनिक साधनों से जोड़ते हुए पारस्परिक रूप से इंटरनेट, कम्प्यूटर इत्यादि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे पर्यटन विकास में तीव्रता आ सके।

4.पर्यटक सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण

वर्तमान में संचालित पर्यटक सूचना केन्द्रों के बेहतर संचालन सहित देश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर

पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किए जाएगें जिससे ऐसे स्थानों से आने वाले पर्यटकों को समस्त सूचनाएँ उपलब्ध कराते हुए उनकी झारखण्ड यात्रा को सुखद एवं स्मरणीय बनाया जा सके।

5.होटल प्रबंधन संस्थान एवं फूड क्राफ्ट इंस्ट्रीच्यूट

भारत सरकार के सहयोग से राज्य में राष्ट्रीय स्तर का होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य में फूड क्राफ्ट इंस्ट्रीच्यूट की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव है। इन संस्थानों की स्थापना के फलस्वरूप होटल एवं आतिथ्य सेवाओं हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा।

6.प्रबंधकीय अनुदान, प्रोत्साहन इत्यादि

राज्य में अवस्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों के समुचित प्रबंधन, रख–रखाव, साफ–सफाई, पर्यटकों की सुरक्षा, गाईड सेवाएँ इत्यादि प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों एवं सेवा प्रदायी संस्थानों के माध्यम से ऐसी सेवाएँ उपलब्ध करायी जाऐगीं।

7.निर्माण, उन्नयन, प्रबंधन, साफ–सफाई, प्रचार आदि हेतु झारखण्ड पर्यटन विकास निगम को वित्तीय सहायता

नए पर्यटन संरचनाओं का निर्माण, पुराने संरचनाओं का उन्नयन, पर्यटन स्थलों/संरचनाओं का प्रबंधन, साफ–सफाई, प्रचार, पर्यटन परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने, राज्य के गरीब नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक/पर्यटन स्थलों की यात्रा कराने आदि हेतु झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

8.समेकित पर्यटन विकास

(क) i;Vu ifjiFk ,o xr0;k dk lefpr fodkl

राज्य में अनेक आकर्षक पर्यटन गंतव्य हैं, जहाँ उच्चस्तरीय आधारभूत सुविधाएँ, लोक सेवाएँ, मार्गीय सुविधाएँ, सम्पर्क पथ इत्यादि विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिसे पर्यटन विभाग के द्वारा विकसित किया जाएगा।

(ख) vk/;kfRed ,o /kkfeld i;Vu dk fodkl

राज्य में देवघर, पारसनाथ, रजरप्पा, रामरेखा धाम, आंजन धाम, रिखिया, योगदा सत्संग आश्रम राँची, इत्यादि कई ऐसे आध्यात्मिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जिनकी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है। ऐसे आध्यात्मिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित करते हुए अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा।

(ग) fojklr] i;Vu dk fodkl

राजमहल की जामी मस्जिद, मेदिनीनगर के चेरो वंश का किला, हजारीबाग का पदमा पैलेस इत्यादि ऐतिहासिक विरासतों को आवश्यकतानुसार लोक–निजी भागीदारी के आधार पर विकसित किया जाएगा।

(घ) xkeh.k i;Vu

झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र पारम्परिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध एवं गौरवशाली हैं। राज्य में ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने की अपार क्षमता हैं। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चयनित ग्रामों को विकसित किया जाएगा, जहाँ आगन्तुक पर्यटकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण परिवेश एवं रहन–सहन से रू–ब–रू कराया जाएगा।

(ड.) टूरिस्ट कॉम्पलेक्स/होटलों का पुनर्वासन, उन्नयन एवं निर्माण

राज्य में स्थित टूरिस्ट कॉम्पलेक्स एवं होटल का पुनर्वासन, उन्नयन एवं निर्माण कराया जाएगा, जिससे आगन्तुक पर्यटक आतिथियों को बेहतर आवासन सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सके।

(च) भू–अर्जन/क्रय/हस्तानान्तरण

राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों को विकसित करने हेतु भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भूमि का अधिग्रहण/क्रय/हस्तानान्तरण किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए समुचित वित्तीय प्रावधान किया गया है।

(छ) मार्गीय सुविधाएँ

राष्ट्रीय एवं राजकीय उच्च पथों पर बेहतर पर्यटक सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इसी क्रम में ऐसे स्थलों पर पार्किंग, रेस्तरॉ, शौचालय आदि सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएगी। लोक–निजी भागीदारी का भी इस क्रम में सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

9. परामर्शी सेवाएँ

राज्य के विभिन्न आकर्षक पर्यटन स्थलों के सर्वांगीण विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाएंगे, जिसके क्रम में परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, शोध अध्ययन आदि कार्य हेतु भी परामर्शी सेवाएँ प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

10. झारखंड पर्यटन विकास निगम को अंश पूँजी उपलब्ध कराना

राज्य के पर्यटन विकास में झारखंड पर्यटन विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा अंशदान के माध्यम से और सुदृढ़ किया जाएगा।

11. राज्य पर्यटन नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन

राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। तदनुसार राज्य नीति के अन्तर्गत पर्यटन प्रक्षेत्र में पूँजी निवेश करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों को अनुमान्य विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है, जिसके क्रम में पारदर्शी, प्रभावकारी एवं सरल प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

OUTLAY FOR VARIOUS SCHEMES (TOURISM) FOR 2016-17

Sl. No.	Type of Scheme	Annual Plan (2016-17) (Rs. in Lakh)			
		Proposed Outlay	**Flow to TSP**	**Flow to SCSP**	**Flow to OSP**
State Plan Schemes					
1.	Tourism Publicity etc	**1500.00**	**600.00**	-	**900.00**
2.	Training & skill development etc	**200.00**	**80.00**	-	**120.00**
3.	Computerization & Modernization	**200.00**	**80.00**	-	**120.00**
4.	Strengthening, Maintenance, Running etc. of Tourist Information Centre, modernization & opening Tourist Information Centre	**200.00**	**80.00**	-	**120.00**
5.	Grands-in-aid to Institute of Hotel Management, Food Craft Institute, Jharkhand Adventure Tourism Institute, Various Tourism Development Authority, Baba Baidynath Dham-Basukinath Shrine area development Authority etc.	**500.00**	**200.00**	-	**300.00**
6.	Management Subsidy, Incentive, grants-in ï aid, expenses etc.	**500.00**	**250.00**	-	**250.00**
7.	Financial Assistance to Jharkhand Tourism Development Corporation for Management, Cleanliness, Creation, Up gradation, Publicity etc. of Tourism facilities and providing tour facility to poor family of the state in the tour package form for visiting tourist/religious places inside the state & outside the state (within India).	**500.00**	**250.00**	-	**250.00**
8. INTEGRATED DEVELOPMENT OF TOURISM					
(a)	Integrated Development of various Tourist circuits and destinations etc/ Dvp. of religious tourism/ Dvp. of heritage tourism/ Dvp. of rural tourism/ Dvp. of mining tourism/ out sourcing as a tool for providing tourist services/up gradation of hotels, tourist complex, tourist information centres and tourist spots etc/land acquisition, purchase, transfer / TIC / JATI / way side amenities (Old)	**2000.00**	**500.00**	-	**1500.00**
(b)	Integrated Development of various Tourist circuits and destinations etc/ Dvp. of religious tourism/ Dvp. of heritage tourism/ Dvp. of rural tourism/ Dvp. of mining tourism/ out sourcing as a tool for providing tourist services/up gradation of hotels, tourist complex, tourist information centres and tourist spots etc/land acquisition, purchase, transfer / TIC / JATI / way side amenities/Public Amenities (New)	**5400.00**	**2500.00**	-	**2900.00**
9.	Consultancy, security and other services	**700.00**	**300.00**	-	**400.00**
10.	Share Capital to JTDC	**200.00**	**100.00**	-	**100.00**
11.	Incentives under State Tourism Policy	**100.00**	**40.00**	-	**60.00**
	Grand Total	**12000.00**	**4980.00**	**-**	**7020.00**

राज्य योजना बजट प्रस्ताव–

प्रस्तावित बजटीय उपबन्ध – 120 करोड़

वित्तीय वर्ष 2016–17 में पर्यटन विभाग, झारखंड, राँची हेतु योजना मद में 120 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्रस्तावित है। विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजटीय उपबन्ध की विवरणी पृष्ठ ..... पर दी गई है।

चुनौतियाँ –

- पर्यटकों की सुरक्षा।
- राज्य के अंतिम पर्यटक स्थलों तक मुलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- राज्य के अंतिम पर्यटक स्थलों तक पहुँच पथ की सुविधा उपलब्ध कराना।
- राज्य के अंतिम पर्यटक स्थलों तक यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना।
- राज्य के अंतिम पर्यटक स्थलों तक मोबाईल नेटवर्क/दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराना।

(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

mís'; ,oa dk;Z

कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग अपने विविध कार्य–कलापों द्वारा दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील है। विभाग जहाँ एक तरफ युवाशक्ति एवं इसकी उर्जा को सन्नद्ध एवं प्रवाहमान बनाने हेतु क्रीड़ा एवं अन्य युवा गतिविधियों को बढ़ावा देता है, वहीं राज्य के धरोहर एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण–संवर्धन के लिए कार्यशील है।

राज्य में खेलकूद की एक शानदार एवं अनन्य परम्परा रही है। झारखंड के खिलाड़ी न सिर्फ तीरंदाजी, हॉकी, व्यायाम (एथलेटिक्स), खो–खो और फुटबॉल जैसी क्रीड़ाओं में अपने प्रदर्शन एवं उपलब्धि के लिये जाने जाते हैं, बल्कि झारखण्ड एम्स्टर्डम ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय टीम के कैप्टन एवं हॉकी के प्रख्यात एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ी (Celebrated Hockey wizard) जयपाल सिंह मुण्डा का घर भी है।

34 वीं राष्ट्रीय खेल के आयोजन द्वारा राज्य को खेलगाँव अवस्थित वृहत क्रीड़ा परिसर के रूप में एक बेशकीमती खेल संरचना भी प्राप्त हुआ है।

कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग में निम्नांकित शाखाएं कार्यरत हैः–

1. क्रीड़ा एवं युवाकार्य
2. कला एवं संस्कृति
3. पुरातत्त्व
4. संग्रहालय

ØhM+k ,oa ;qokdk;Z

राज्य में क्रीड़ा एवं युवा गतिविधियों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से पंचायत से राज्य स्तर के विभिन्न क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। आधारभूत संरचना, यथा–पंचायत स्तर पर क्रीड़ा मैदान और प्रखण्ड/जिला स्तर पर क्रीड़ांगण का निर्माण कराया जा रहा है ताकि कम उम्र में ही प्रतिभाओं को विकसित किया जा सके एवं क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके । क्रीड़ा एवं युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने युवा नीति एवं खेल नीति भी अधिसूचित किया है।

चयनित खिलाड़ियों को खेल की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित करने हेतु राज्य में 34 आवासीय एवं 123 दिवसीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र हैं। अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने हेतु उत्कृष्ट क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र नामक नई योजना प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2013 के नवम्बर माह में विभाग ने सफलतापूर्वक सातवीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। झारखण्ड के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 23 स्वर्ण 17 रजत एवं 13 कांस्य पदक जीते। जनवरी 2015 में विभाग नें हॉकी एवं व्यायाम (एथलेटिक्स) की राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतिर्स्पधा का आयोजन किया।

युवाओं में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में रूचि जागृत करने हेतु, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कई कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं, जो विद्यार्थियों के बीच उनके

भावी जीवन के लिये मार्गदर्शक होंगे एवं सामाजिक जीवन की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होंगे तथा उनमें बुद्वि चातुर्य का विकास करेंगे।

राज्य में राष्ट्रीय कैडेट कोर के दो ग्रुप मुख्यालय हैं जिनमें से हरेक के अधीन 7–7 इकाईयाँ कार्यरत हैं। ये इकाईयाँ महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को न सिर्फ सैनिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं,बल्कि उन्हें सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिये भी तैयार करती हैं।

dyk ,oa lLdfr

राज्य की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण कला और संस्कृति की संरक्षा सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार की कई योजनायें हैं। युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु राज्य में चार सांस्कृतिक केन्द्र हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में वर्षभर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कार्यशाला आयोजित किये जाते हैं।

राज्य सरकार राज्य में भाषिक केन्द्र स्थापित करने एवं वर्त्तमान सांस्कृतिक केन्द्रों को समृद्ध करने की योजना बना रही है। इसके अतिक्ति, राज्य में अखड़ा एवं धुमकुड़िया को भी श्रृखंलाबद्ध रूप में विकसित करने की योजना है।

¼I½ >kj[k.M dyk efUnj

वर्ष 1970 में भारतीय नृत्य कला मन्दिर की स्थापना की गई थी जो राज्य गठन के उपरान्त झारखण्ड कला मन्दिर के नाम से निबन्धित है एवं इसकी एक शाखा दुमका में भी संचालित हैं। राँची शाखा वर्त्तमान में डॉ॰ रामदयाल मुण्डा राजकीय कला भवन, खेलगाँव होटवार, राँची में कार्यरत है। यहाँ नृत्य के विभिन्न रूपों, यथा– कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, राज्य के विभिन्न लोकनृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र वादन एवं राज्य के लोकगीतों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगामी वर्षों में यहाँ विभिन्न जनजातीय एवं स्थानीय संगीत, नृत्य, मूर्त एवं अमूर्त कला, दृष्यकला, मूर्तिकला, ललित कला इत्यादि में प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें। मरणासन्न हस्तशिल्प एवं स्थानीय कलाओं को भी साप्ताहिक एवं विशेष सांस्कृतिक उत्सवों/कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(II) jkt dh; ekuHkke NÅ uR; dyk dUnz की स्थापना सिल्ली क्रीड़ांगण, सिल्ली में की गई है, जहाँ प्रतिवर्ष 25 प्रशिक्षणार्थियों को छऊ नृत्य,गीत एवं वाद्य यन्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ बालिकाओं को भी प्रशिक्षणार्थी के रूप में लिया जाता है। समय–समय पर मुखौटा निर्माण कार्यशाला एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

(III) jkt dh; NÅ uR; dyk dUnz] ljk;dsyk

वर्ष 1960 में राजकीय छऊ नृत्य कला केन्द्र, सरायकेला की स्थापना बिहार सरकार द्वारा की गई थी। यह केन्द्र स्थापना वर्ष से ही छऊ नृत्य कला के संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य कर रहा है। जहाँ अन्य स्थलों पर छऊ नृत्य केवल पुरूष ही करते हैं, वहाँ इस केन्द्र द्वारा बालिकाओं को भी छऊ नृत्य कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस केन्द्र द्वारा विदेशों में भी छऊ नृत्य कला का प्रदर्शन किया जा चुका है।

योजना है कि आगामी वर्षों में राज्य में न्यूनतम दो और सांस्कृतिक केन्द्रों को प्रारम्भ किया जाय एवं दुमका सहित वर्त्तमान सांस्कृतिक केन्द्रों को और ज्यादा सक्रिय एवं गुंजायमान (Vibrant) बनाया जाय।

राज्य की विविधतापूर्ण संस्कृति को समुन्नत करने एवं अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु "सनिपरब" नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रति शनिवार डा॰ रामदयाल मुण्डा राजकीय कला भवन, होटवार में आयोजित किया जाता

है। इस कार्यक्रम में, राज्य के सभी भागों के कलाकारों को एक मंच उपलब्ध कराया जाता है एवं उदीयमान कलाकारों का उत्साहवर्धन किया जाता है। यह प्रस्तावित है कि इस कार्यक्रम को प्रमण्डल एवं जिला स्तर पर भी आयोजित किया जाय। विभिन्न कार्यक्रमों एवं त्यौहारों के मनाये जाने के अतिरिक्त, यह भी प्रस्तावित है कि वार्षिक छऊ नृत्य का आयोजन किया जाय, तथा एक "सात दिवसीय" राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन नवम्बर माह में किया जाय।

राज्य की विविध संस्कृतियों को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार भाषिक केन्द्रों की स्थापना की योजना बना रही है। इस हेतु प्रस्ताव है कि पारम्परिक सांस्कृतिक इकाईयों,यथा–अखड़ा एवं घुमकुड़िया को क्रमबद्ध रूप से चिन्हित, संरक्षित एवं संवर्धित किया जाय। ये पारम्परिक संरचनायें इस क्षेत्र की सामाजिक स्थितियों को स्पष्ट करने में सहायक होंगी।

ijkrRo

राज्य के पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन का उद्देश्य है। सरकार ने विभिन्न स्थलों को उत्खनन, संरक्षण एवं विकास हेतु एवं इनमें से कुछ स्थलों को धरोहर दीर्घा (हेरिटेज गैलरी) निर्माण हेतु चिन्हित किया है। राज्य सरकार इन कार्यों को स्ववित्त एवं तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से करने हेतु कार्रवाई कर रही है। इसके अतिरिक्त कई धरोहर चेतना कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यो का सम्पादन विभागीय बजट एवं वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों द्वारा किया जाता है।

13वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई 100 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग राज्य के 26 पुरातात्विक महत्व के स्थलों के संरक्षण एवं विकास के कार्य में किया जाना है। इसके अतिरिक्त तीन और पुरातात्विक स्थल भी इस हेतु स्वीकृत हो चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत राँची अवस्थित आड्रे हाउस के संरक्षण एवं विकास का कार्य पूर्ण है। अन्य सभी कार्य निविदा एवं इसके निष्पादन की प्रक्रिया में हैं।

lxgky;

पुरातात्विक अवशेषों एवं विविधतापूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने हेतु राज्य में दो संग्रहालय स्थापित हैं जिनमें से एक राज्य की राजधानी में और दूसरा राज्य की दूसरी राजधानी दुमका में अवस्थित है। इन संग्रहालयों के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं के बीच विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है एवं अध्ययन गोष्ठी, व्याख्यान एवं धरोहर चेतना कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

राज्य संग्रहालय, होटवार, में "पूर्वी भारत की प्रस्तरकला" विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन गोष्ठी का आयोजन पहली बार किया गया एवं योजना है कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया जाय। इस वर्ष "रवीन्द्रोत्सव" एवं "विमर्श'' का आयोजन आमन्त्रित अतिथियों एवं विशेषज्ञों की उपस्थिति में किया गया। विश्वविद्यालय स्तरीय विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच पुरस्कार एवं स्मृति चिन्हों का भी वितरण किया गया। राँची विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं संगीत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिये पाटकुम (चांडिल) एवं इटखोरी के लिये यात्रा का भी आयोजन किया गया। 520 विद्यार्थियों ने संग्रहालय सप्ताह महोत्सव में भाग लिया। कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग एवं न्युमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की सहभागिता में दिनांक 19–21 फरवरी 2015 को "सिक्का आधारित भारतीय इतिहास का अध्ययन " आयोजित किया जायगा।

foÙkh; o"kZ 2016&17 ds fy;s ctV izLrko

[ksydwn ,oa ;qok dk;Z

1- [f[kykM+h dY;k.k dks"k@[ksy Nk=o`fÙk@f[kykfM+;ksa dk lEekuA] 2204

राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष ऐसे खिलाड़ियों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी उपलब्धि के अनुरूप आर्थिक सहायता, उनकी खेल गतिविधियों में सहभागिता, चिकित्सकीय आवश्यकताओं आदि की पूर्ति के लिए उपलब्ध कराती है। द्वितीयतः रू० 500/– से रू० 6000/– तक छात्रवृत्ति की राशि भी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य सरकार खिलाड़ियों को उनके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा आयोजनों में हासिल की गई उपलब्धियों के अनुरूप ईनाम के रूप में नकद पुरस्कार देती है। विभिन्न स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में वर्त्तमान में प्रावधानित पुरस्कार की राशि में वृद्धि प्रस्तावित है। राज्य की खेल नीति के अनुसार खेल कोटा के अंतर्गत नौकरी में खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जानी है।

mi;qZä ;kstuk ds fy, foÙkh; o"kZ 2016&17 ds fy, bl en esa 300-00 yk[k :0 dk mica/k izLrkfor gS ftlesa ls 100-00 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k=] 50-00 yk[k :0 vuqlwfpr tkfr;ksa ds fy, fo'ks"k ?kVd ;kstuk ,oa 150-00 yk[k :0 vU; {ks=h; mi;kstuk ds fy;s gSA

2- [f[kykM+h izf'k{k.k dsUnz@izfrHkk [kkst@[ksy lkexzh@ lkexzhA] 2204

राज्य के विभिन्न जिलों में 34 आवासीय एवं 123 दिवसीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत हैं। आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों में, आवासन सुविधा के अतिरिक्त छात्रों को उनकी सामान्य शिक्षा/भोजन/क्रीड़ा सामग्री/बीमा/चिकित्सा एवं अन्य व्ययों के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। विभाग ने आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए एन०आई०एस० डिप्लोमा प्राप्त प्रशिक्षकों एवं बी०पी०ई०डी०/एम०पी०ई०डी०/एम० फिल०/ भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों/विज्ञ प्रशिक्षकों की सुविधा दिवसीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों पर मुहय्या कराया है। ये केन्द्र युवा क्रीड़ा प्रतिभा के विकास एवं संवर्द्धन हेतु आधारभूत केन्द्र हैं। आवश्यकतानुरूप नई जगहों पर नये आवासीय एवं दिवसीय केन्द्रों की संस्थापना का एवं असंचालित आवासीय एवं दिवसीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों को बंद करने का भी प्रस्ताव है।

एन०आई०एस०, पटियाला एवं अन्य प्रसिद्ध क्रीड़ा संस्थानों की सहायता से प्रशिक्षकों के लिए कार्यशाला एवं संबंधित विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है। राज्य द्वारा विभिन्न क्रीड़ा संघों, विद्यालय स्तर के विजेता टीमों, सुब्रतो मुखर्जी, नेहरू कप, हॉकी टूर्नामेंट/सी०एम० एवं एस०एम० फुटबॉल/अन्तरविद्यालय क्रीड़ा प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को क्रीड़ा उपस्कर उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रखंड स्तर से चयन प्रक्रिया द्वारा विभिन्न खेलों एवं क्रीड़ाओं के अन्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय टीमों का गठन किया जा रहा है। इसके उपरान्त इन टीमों को क्रीड़ा उपस्कर एवं अन्य सुविधाएँ मुहैय्या कराई जा रही हैं। जिला एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रखण्ड एवं जिला स्तर के टीमों को शामिल किया जाता है। प्रतियोगिता के प्रत्येक स्तर पर नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।

mi;ä ;ktuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 560-00 yk[k :0 iLrkfor gA ble l 330-00 yk[k :0 tutkrh; mi;ktuk i{k=] 30-00 yk[k :0 vuqlfpr tkfr;k d fy, fo'k"k ?kVd ;ktuk i{k= ,o 200-00 yk[k :0 vU; mi;ktuk i{k= d fy;s gkxkA

3- ;qok xfrfof/k;k ¼;qok dk;Z@;qok vk;kx½ 2204

राज्य में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर का एक युवा महोत्सव आयोजित किया जाता है जिसमें अपने अनुभवों एवं विचारों का आदान–प्रदान करने हेतु साथ रहने एवं कार्य करने हेतु राज्य/राष्ट्र के सभी भागों से प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाता है। राज्य/राष्ट्र स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने हेतु चयन के लिये युवाओं में परस्पर सहभागिता बढ़ाने एवं स्थानीय गतिविधियों में वृद्धि करने के लिये जिला एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जायगा। उच्च स्तरीय कार्यक्रमों एवं प्रतिस्पर्धाओं में चयन हेतु इन महोत्सवों में प्रतिस्पर्धात्मक शैली में नृत्य/नाटक/ संगीत/कला एवं शिल्प/शैक्षिक गतिविधियों/दृश्य कला/वृत्तचित्र प्रदर्शन/छायांकन इत्यादि जैसे विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

राज्य में युवा कल्याण एवं युवा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक युवा आयोग की स्थापना की जा चुकी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की प्रतिभा एवं प्रवीणता को दिशा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011–12 से ग्रामीण किशोर–किशोरी विकास केन्द्र योजना प्रारंभ की है। वर्ष 2014–15 में यह किशोर–किशोरी योजना – मैं हूँ चैम्पियन– योजना के रूप में पुनर्प्रवर्त्तित हुआ है जिसमें क्षेत्र में परिवर्त्तन लाने हेतु ग्राम स्तरीय युवा केन्द्र क्रीड़ा और कला एवं संस्कृति को परिवर्त्तन का माध्यम बनायेंगे। इसके लिए यूनीसेफ तकनीकी सहायता दे रहा है और यह योजना नेहरू युवा केन्द्र की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इस हेतु सम्प्रति बारह जिलों का चयन किया गया है एवं आगामी वर्षों में राज्य के सभी जिलों में इसे कार्यान्वित करने की योजना है।

foÙkh; o"k 2016&17 d fy, bl ;ktuk d fy, 200-00 yk[k :0 dk mic/k çLrkfor gA ble l 150-00 yk[k :0 tutkrh; mi;ktuk i{k= ,o 50-00 yk[k :0 vU; {k=h; mi;ktuk i{k= d fy;s gkxkA

4- vUrjk"Vªh;@jk"Vªh;@jkT;@ftyk@i[k.M Lrjh; ,o vU; [ky ifr;kfxrkvk dk vk;ktu@Hkkxhnkjh ,o lkgfld [ky½ 2204

राज्य में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य में राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जाते हैं जिनमें पाईका (राजीव गांधी क्रीड़ा अभियान) भी शामिल है। विभाग प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय विद्यालय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल खेल प्रतियोगिता, नेहरू हॉकी खेल प्रतियोगिता, विभिन्न विद्यालय खेल प्रतियोगिता, मुख्यमंत्री कप एवं क्रीड़ा मंत्री कप फुटबॉल खेल प्रतियोगिता सहित महिला क्रीड़ा महोत्सव या खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराता है ताकि नई प्रतिभायें उभर सकें। इन

प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किये जाते हैं।

विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन विभाग द्वारा किए जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं:–

Øå lå	[ksy@fo/kk	ifr;ksfxrk
1.	फुटबॉल U-14/17 बालक	प्रखंड / जिला / प्रमण्डल / राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल खेल प्रतियोगिता
2.	हॉकी U-15/17 बालक एवं U-17 बालिका	प्रखंड / जिला / राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी खेल प्रतियोगिता
3.	20 विधाएँ U-14/17/19 बालक एवं बालिका	प्रखण्ड / जिला / राज्य विद्यालय खेल प्रतियोगिता
4.	10 विधाएँ (महिला)	प्रखंड / जिला / राज्य स्तरीय महिला क्रीड़ा उत्सव
5.	हॉकी (बालक एवं बालिका) फुटबॉल (बालक एवं बालिका) क्रॉस कंट्री रेस	29 अगस्त (राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस) को खेल प्रतियोगिता।
6.	तीरंदाजी, खो–खो, कबड्डी, बॉलीबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती	पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 09 खेल प्रतियोगिता ।
fVIi.kh& vU; [ksy ifr;ksfxrkvks dk vk;ktu vkxkeh o"kk e fd;k tk;xkA		

इनके अतिरिक्त विभाग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अन्तर प्रशिक्षण केन्द्र प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस, प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी जन्मदिवस 3 जनवरी, पूर्व स्वतंत्रता सैनिकों की स्मृति में क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित करने के साथ–साथ अन्य क्रीड़ा गतिविधियाँ भी आयोजित करता है।

झारखण्ड में साहसिक खेलों के लिये वृहत क्षेत्र है। इस योजना के अंतर्गत पर्वतारोहण, पारा ग्लाईडिंग, जलक्रीड़ा, नौकायान इत्यादि जैसी क्रीड़ायें शामिल है। इन क्रीड़ाओं के लिए क्षेत्रों को चयन रूक्का बांध (ओरमांझी), धुर्वा बांध, खण्डोली बांध (गिरिडीह), मैथन बांध, सिकिदरी, राजमहल पहाड़ी इत्यादि जगहों में से किया जा सकता है। शैल–आरोहण, साहसिक गतिविधियों के लिये समुचित स्थलों को चिन्हित किया जा सकता है। परम्परागत क्रीड़ा कार्यक्रमों एवं विधाओं के साथ–साथ साहसिक खेलों को भी प्रोत्साहित किया जायगा।

mi;ä ;ktuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 650-00 yk[k :0 iLrkfor gA bles l 350-00 yk[k :0 tutkrh; mi;ktuk i{k=] 30-00 yk[k :0 vuqlfpr tkfr;k d fy, fo'k"k ?kVd ;ktuk i{k= ,o 190-00 yk[k :0 vU; mi;ktuk i{k= d fy;s gkxkA

5- <u>[ksy izksRlkgu xfrfof/k;ka rFkk ijke'kZ gsrq vuqnku%</u> 2204

d½ [ksy la?kksa dks vuqnku% खेल संघ जिला / राज्य / राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का राज्य में आयोजन करते हैं। कई खेल संघ अपने स्तर से इन जिला / राज्य / राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करने हेतु वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है। अतः प्रस्ताव है कि जिला / राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य के विभिन्न खेल संघों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाय।

उपर्युक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 300.00 लाख रू० प्रस्तावित है।

[k½ >kj[k.M [ksy izkf/kdj.k dks vuqnku% राज्य में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं 34वें राष्ट्रीय खेल हेतु निर्मित आधारभूत खेल संरचनाओं के रख–रखाव हेतु राज्य सरकार ने झारखण्ड खेल प्राधिकरण नामक संस्था की स्थापना की है। हालांकि क्रीड़ा परिसर के प्रचालन एवं सम्पोषण पर होने वाले वित्तीय भार को वहन करने हेतु 53.00 करोड़ रूपये की संचित निधि उपलब्ध करायी जा चुकी है, परन्तु, झारखण्ड खेल प्राधिकरण के कार्मिकों पर होने वाले स्थापना व्यय को वहन करने हेतु वार्षिक अनुदान की आवश्यकता है।

(A) झारखण्ड खेल प्राधिकरण की स्थापना निम्नवत हैः–

1.	कार्यकारी निदेशक	–	01
2.	उप निदेशक	–	01
3.	उप प्रशासक	–	01
4.	सहायक प्रशासक	–	02
5.	लेखा पदाधिकारी	–	01
6.	लेखा लिपिक	–	02
7.	लिपिक–सह–संगणक संचालक	–	03
8.	आशुलिपिक	–	02
9.	टंकक–सह–लिपिक	–	01
10.	चतुर्थवर्गीय	–	02
11.	चालक	–	03
12.	क्रीड़ांगण विशेषज्ञ	–	01
13.	क्रीड़ांगण प्रबंधक	–	12
14.	कनीय अभियंता	–	01

(B) झारखण्ड खेल प्राधिकरण का मुख्य दायित्व वृहत्त क्रीड़ा परिसर, होटवार, मोराबादी एवं सिल्ली में निर्मित खेल संरचनाओं का संरक्षण एवं इन बहुमूल्य परिसम्पत्तियों के सम्यक उपयोग हेतु गतिविधियाँ संचालित करना है। निम्न मुख्य संरचनायें झारखण्ड खेल प्राधिकरण के नियंत्रण में हैंः–

1. वी०आई०पी० गेस्ट हाउस सहित बिरसा मुण्डा फुटबॉल स्टेडियम, मोराबादी ।
2. एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, मोराबादी।
3. तरणताल, मोराबादी।

ogÙk ØhMk ifjlj] gkVokj

1- बिरसा मुण्डा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम।

2. ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव अन्तर्द्वार क्रीड़ांगण (टेबल टेनिस, बैडमिन्टन एवं योगा)।

3. अल्बर्ट एक्का खो–खो, कबड्डी क्रीड़ांगण।

4. टिकैत उमरॉव सिंह शूटिंग रेन्ज।

5. लॉन टेनिस क्रीड़ांगण।

6. वीर बुद्धु भगत जलक्रीड़ा क्रीड़ांगण।

7. गणपत राय अन्तर्द्वार क्रीडांगण – व्यायामिक (Gymnastic) (कुश्ती एवं ताइक्वाण्डो)।

8. सिद्धो–कान्हो वेलोड्रम (साईक्लिंग)

9. हरवंश टाना भगत अन्तर्द्वार क्रीड़ांगण (वालीबॉल, बास्केटबॉल एवं हैण्डबॉल)।

10. विशिष्टाति विशिष्ट अतिथि गृह (15 कमरा + 01 हॉल)

11. क्रीड़ा छात्रावास – 55 कमरा।

12. 119 वासकक्ष (Flat)

13. सिल्ली फुटबॉल स्टेडियम, सिल्ली।

झारखण्ड खेल प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त सभी संरचनाओं की साफ–सफाई, बागवानी, सुरक्षा, विद्युत आपूर्त्ति शुल्क, जलकर एवं सम्पोषण किया जाता है। अतः क्रीड़ा परिसर के सम्पूर्ण कार्यकलाप एवं संरक्षण व्यय के वहन हेतु अनुदान के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

उपर्युक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 100.00 लाख रू० प्रस्तावित है।

x½ [ky fo'ofo|ky; ,o fof'k"V n{krk ØhMk dUn½ खेल विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट दक्षता क्रीड़ा केन्द्र की स्थापना सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड के साथ लोक निजी भागीदारी के आधार पर एकरारनामा किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों में खेल के विभिन्न विधाओं के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित प्रतिभावान खिलाड़ियों को इन केन्द्रों में विशेष प्रशिक्षण एवं सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को आधुनिकतम तकनीकयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किए जायेंगे।

उपर्युक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 200.00 लाख रू० प्रस्तावित है।

?k½ dkjil Q.M gr vunku½ 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान निर्मित खेल संरचनाओं के रख–रखाव एवं जिला स्तरीय खेल संरचनाओं के रख–रखाव हेतु संचित निधि सृजित की गई थी। इस निधि को झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायगा।

उपर्युक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 200.00 लाख रू० प्रस्तावित है।

mi;ä ;ktuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 800-00 yk[k :0 iLrkfor gA ble l 470-00 yk[k :0 tutkrh; mi;ktuk i{k=] 30-00 yk[k :0 vulfpr tkfr;k d fy, fo'k"k ?kVd ;ktuk i{k= ,o 300-00 yk[k :0 vU; mi;ktuk i{k= d fy;s gkxkA

6- <u>i.f'k{k.k] dk;Z'kkyk] v/;;u ,oa ;k=k% 2204</u>

राष्ट्रीय परिदृश्य एवं दृष्टिकोण में वृतिक निपुणता के साथ बेहतर कार्य संस्कृति के लिये कार्मिकों, पदाधिकारियों, विभिन्न खेल संघों के पदधारकों, क्रीड़ाश्री एवं क्रीड़ा से संबंधित व्यक्तियों, कलाकारों इत्यादि का अनुकूलन एवं अभिदर्शन (orientation and exposure) आवश्यक है। इस ध्येय की प्राप्ति हेतु यह प्रस्तावित है कि कला, संस्कृति, क्रीड़ा, युवा कार्य एवं संग्रहालय गतिविधि से संबंधित भारत एवं विदेशों में सर्वोत्तम संरचनात्मक सुविधाओं के निरीक्षण यात्रा के साथ विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का निदर्शन किया जाय।

राज्य सरकार लोक निजी भागीदारी पर खेल अकादमियों एवं क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। इस हेतु देश एवं विदेशों के प्रसिद्ध संस्थानों की अध्ययन यात्रा से राज्य में उक्त सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी। विभिन्न क्रीड़ा अकादमियों एवं राज्य के सर्वोत्तम खिलाड़ियों एवं पदधारकों के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिये भी अध्ययन यात्रा आयोजित की जा सकेगी। अभिदर्शन भ्रमण के अतिरिक्त, क्रीड़ा, कला–संस्कृति एवं युवा गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिये आवश्यक अल्पकालीन प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

mi;qZä ;kstuk ds fy, foÙkh; o"kZ 2016&17 ds fy, 50-00 yk[k :0 dk miC/k çLrkfor gSA blesa ls 20-00 yk[k :0 tutkfr; mi;kstuk i{k= ,oa 30-00 yk[k :0 vU; {k=h; mi;kstuk i{k= ds fy;s gksxkA

7- <u>dkS'ky fodkl</u>% 2204

खेलों के आयोजन, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व के क्षेत्रों में नियोजन देने हेतु राज्य के खिलाडियों, क्रीड़ा प्रशिक्षकों एवं कलाकारों इत्यादि को राष्ट्रीय स्तर के किसी संस्थान में क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रबंधन के विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देने का सरकार का प्रस्ताव है।

mi;qZä ;kstuk ds fy, foÙkh; o"kZ 2016&17 ds fy, 50-00 yk[k :0 dk miC/k çLrkfor gSA blesa ls 30-00 yk[k :0 tutkfr; mi;kstuk i{k= ,oa 20-00 yk[k :0 vU; {k=h; mi;kstuk i{k= ds fy;s gksxkA

8- <u>ØhMkax.k ¼LVsfM;e½@ØhMk Nk=kokl] ,uåljhåljhå i'kklfud Hkou ,oa [ksy lajpukvksa</u> dk fuekZ.k% 4202

राज्य सरकार का प्रत्येक जिला एवं प्रखण्ड में मानक स्तर के क्रीड़ांगण (स्टेडियम) एवं खेल संरचनओं के निर्माण किये जाने का उद्देश्य है। हॉकी संबंधी संरचनाओं को सुद्दृढ़ करने हेतु न्यूनतम तीन और कृत्रिम घास के मैदान बनाने की योजना है। राज्य जिला स्तर पर एकीकृत क्रीड़ा परिसर एवं प्रखण्ड/जिला स्तर पर बहुद्देशीय अन्तर्द्वार/बहिर्द्वार क्रीड़ांगणों का निर्माण करायेगा। यदि आवश्यक होगा, अथवा, किसी विशिष्ट भूभाग में प्रतिभायें अधिक होंगी, तब, प्रखण्डों में एकाधिक क्रीडांगण या अन्य खेल संरचना निर्मित की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में क्रीड़ा क्षेत्रों का निर्माण मनरेगा (MNREGA) योजना द्वारा कराया जायगा। इन क्रीड़ा क्षेत्रों में विभाग द्वारा खिलाड़ियों एवं प्रेक्षकों के लिये सुविधाएँ, यथा– पड़ाव,

पेयजल, प्रसाधन कक्ष, परिधान कक्ष आदि सुविधाओं का विस्तार किया जायगा। इसी शीर्ष के उपबंध से आवश्यकतानुसार परामर्शी की सेवा ली जायगी एवं उनके परामर्शी शुल्क का भुगतान किया जायगा।

mi;|ä ;kstuk ds fy, foÙkh; o"kZ 2016&17 ds fy, 1400-00 yk[k :0 dk mic/k çLrkfor gS ble s 900-00 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k= ,oa 500-00 yk[k :0 vU; {k=h; mi;kstuk i{k= ds fy;s gksxkA

9- ØhMkx.k] [ksy Nk=kokl ,oa lkaLd`frd Hkouksa dk lEi{k.k] th.kksZ)kj ,oa lkQn;hdj.k ¼2204

34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन हेतु राँची में कई भव्य संरचनाओं का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त खेल छात्रावास, क्रीड़ांगण एवं सांस्कृतिक भवनों का भी निर्माण किया गया तथा किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि उन सभी निर्मित संरचनाओं का सम्पोषण भी किया जाय जिससे ये सभी क्रीड़ांगण एवं भवन सुरक्षित रह सकें। इसके अन्तर्गत आवश्यक वार्षिक मरम्मति, अनुरक्षण या जीर्णोद्धार कार्य किया जायगा।

mi;|ä ;kstuk ds fy, foÙkh; o"kZ 2016&17 ds fy, 125-00 yk[k :0 dk mic/k çLrkfor gS ble s 75-00 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k= ,oa 50-00 yk[k :0 vU; {k=h; mi;kstuk i{k= ds fy;s gksxkA

10- lwpuk izk|ksfxdh vuqç;ksx dk l`tu¼ 2204

विभाग के समक्ष क्रीड़ा प्रतिभा, कला एवं संस्कृति से संबंधित उपलब्धियों एवं प्रतिभा की पहचान, इस विस्तृत आंकड़े (data base) का सृजन एवं मूर्त्त एवं अमूर्त्त कलाओं, जिनमें से ज्यादातर विलुप्ति के कगार पर हैं, के अभिलेखन का विकट कार्य है। यह सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के उपयोग, wikimode पर वेबसाईट के सृजन एवं सभी उपकारी योजनाओं के ऑनलाईन करने से ही समयबद्ध एवं लक्षित रीति से किया जाना संभव है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तकनीकी सहायता से इसे करने का प्रस्ताव है।

mi;|ä ;kstuk ds fy, foÙkh; o"kZ 2016&17 ds fy, 75-00 yk[k :0 izLrkfor gS] tks tutkrh; mi;kstuk i{k= ds fy;s gksxkA

11- gkWdh rFkk QqVckWy [ksy gsrq dey Dyc rFkk [ksy Dyc dk vuqnku ¼ipk;r] iz[k.M] ftyk ,oa jkT; Lrjh;½ इस योजना अंतर्गत पंचायत, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर कमल क्लब तथा खेल क्लब की स्थापना कर विभिन्न खेल (मुख्यतः हॉकी तथा फुटबॉल) तथा अन्य सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जायगा। उक्त सभी क्लब सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से निबंधित होंगे। साथ ही साथ उक्त क्लबों में जिमनेजियम एवं लाईब्रेरी की व्यवस्था की जायगी।

mi;|ä ;kstuk ds fy, foÙkh; o"kZ 2016&17 ds fy, 2200-00 yk[k :0 izLrkfor gS ble s 1370-00 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k= ,oa 830-00 yk[k :0 vU; mi;kstuk i{k= ds fy;s gksxkA

dyk ,o laLdfr

1- lkLdfrd dk;Øeks dk vk;ktu ¼ 2205& सांस्कृतिक गतिविधियों के बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने का प्रस्ताव है ½&

(I) iR;sd lfuokj dks ftyk eq[;ky; esa **lfuijc** dk vk;kstu½& राँची तथा अन्य चार प्रमण्डल के जिला मुख्यालय में प्रत्येक शनिवार को ''सनिपरब'' का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, परन्तु ''सनिपरब'' की लोकप्रियता के कारण प्रत्येक जिला मुख्यालय में इस कार्यक्रम को आयोजित करने की मांग हो रही है। सभी लोग यह महसूस कर रहे हैं कि राज्य तथा जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाय।

उपर्युक्त हेतु रू० 550.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(II) jkT; Lrjh; rFkk ftyk Lrjh; lqcg&losjs dk;Øe dk vk;kstu ½& विभाग द्वारा प्रत्येक शनिवार को मोराबादी, राँची के गाँधी मूत्ति के पास सुबह–सवेरे कार्यक्रम का आयोजन किया जता है लेकिन इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर भी आयोजित कराने की मांग की जा रही है।

उपर्युक्त हेतु रू० 420.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(III) jkT; ds fofHkUu ikjEifjd esyk esa lkLdfrd dk;Øeksa dk vk;ktu ½& राज्य में मुड़मा मेला, जगन्नाथ मेला, रामरेखा मेला, पलामू किला मेला, सूरजकुंड मेला तथा मकर सक्रांति के अवसर में आयोजित होनेवाले मेले काफी लोकप्रिय है। राज्य के निवासी उक्त मेलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चाहते हैं। वित्तीय वर्ष 2016–16 में मुड़मा मेला तथा जगन्नाथ मेला का आयोजन किया गया है

उपर्युक्त हेतु रू० 30.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(IV) vrj jkT;h; lkLdfrd dk;Øe ½& प्रत्येक राज्य के लिए अंतर राज्यीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य सांस्कृतिक दल अन्य राज्यों में भेजते हैं। झारखण्ड राज्य का सांस्कृतिक दल लोक रंग उत्सव, जयपुर, राजस्था, लोकनृत्य मेला, पूरी, उड़िसा, दशहरा उतसव, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, दशहरा मेला, मैसूर, कर्नाटक भेजा जाता रहा है।

उपर्युक्त हेतु रू० 10.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(V) iR;sd ftyks esa fofHkUu mRloksa ds volj ij lkLdfrd dk;Øe ½& जिलों में विभिन्न तरह के उत्सवों का आयोजन किया जाता है वे हैं सरहूल उत्सव, करमा उत्सव, टुसू पर्व, विश्व आदिवासी दिवस, संताल उत्सव एवं बोकारो का सांस्कृतिक उत्सव।

उपर्युक्त हेतु रू० 40.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(Vi) jkT; ds fofHkUu ftyksa esa egksRlo dk vk;ktu ½& सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा जागरूकता फैलाने हेतु जिलों में स्थानीय तौर पर छोटे–छोटे महोत्सव का आयोजन किया जाना है भादो महोत्सव, मलूटी, राज्य, अंतरराज्यीय नाट्य मोहत्सव, जनजातिय आदिवासी उत्सव तथा जिला स्थापना दिवस का आयोजन किया जाता रहा है।

उपर्युक्त हेतु रू० 50.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(Vii) x.kr=@ Lor=rk fnol d volj ij lkLd`frd dk;Øe rFkk in'kuh dk vk;ktu %& सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है तथा गणतंत्र/स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राँची तथा दुमका में दो झांकी का प्रदर्शन किया जाता रहा है

उपर्युक्त हेतु रू० 16.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(Viii) jkT; Lrjh; laxhr dk;Øe dk vk;ktu %& राज्य में विभिन्न विद्याओं के गणमान्य कलाकार रहते हैं। विघाओं में शास्त्रीय, अर्द्वशास्त्रीय गीत तथा नृत्य विघमान हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय संगीत कार्यक्रम आयोजन किया जाता है।

उपर्युक्त हेतु रू० 18.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(Ix) fofHkUu t;arh lekjksg dk vk;ktu %& पाण्डेय गणपत राय, शाहदत दिवस, कार्त्तिक उरांव तथा डॉ० रामदयाल मुण्डा जैसे गणमान्य व्यक्तियों के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है

उपर्युक्त हेतु रू० 6.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(X) vYi lwpuk ij lkLd`frd dk;Øe %& कभी–कभी अल्प सूचना पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ता है जो पूर्व से निर्धारित नहीं होता है परन्तु कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण होते हैं :–

उपर्युक्त हेतु रू० 50.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(Xi) jkT; LFkkiuk fnol %& 15 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें स्थानीय जनजातिय कलाकार भी बड़े संख्या में भाग लेते हैं।

उपर्युक्त हेतु रू० 50.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

mi;qä ;kstuk d fy, foÙkh; o"kZ 2016&17 d fy, 1240-00 yk[k :0 dk micU/k iLrkfor g ftle l 605-00 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k= d fy;s 30-00 yk[k :å vuqlfpr tkfr;ka d fy, fo'k"k ?kVd ;kstuk d fy, ,o 545-00 yk[k :0 vU; mi;kstuk i{k= d fy;s gkxA

2- <u>ljdkjh@xj ljdkjh lkLd`frd lLFkkvka dk vunku</u>% 2205

(i) jktdh; lkLd`frd lLFkkvka dk vunku%

जनजातीय क्षेत्र में निम्न तीन संस्थाएँ हैं:–

(क) झारखण्ड कला मंदिर (राँची एवं दुमका)।

(ख) राजकीय छऊ नृत्य कला केन्द्र, सरायकेला।

(ग) राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केन्द्र, सिल्ली।

झारखण्ड कला मंदिर मूलतः बिहार सरकार के अधीन भारतीय नृत्य कला मंदिर की एक शाखा था जिसका गठन वर्ष 1970 में किया गया था। राज्य गठन के बाद झारखण्ड कला मंदिर

अस्तिव में आया। झारखण्ड कला मंदिर की दो शाखायें हैं। एक डॉक्टर रामदयाल मुण्डा कला भवन, होटवार, राँची में अवस्थित है एवं दूसरा जुबिली हॉल दुमका में अवस्थित है।

राजकीय छऊ नृत्य कला केन्द्र, सरायकेला वर्ष 1960 में सरायकेला शैली के छऊ नृत्य के प्रशिक्षण हेतु स्थापित की गई थी। आज यह खरसावॉ शैली के छऊ नृत्य का प्रशिक्षण भी दे रहा है। इस शैली की भारत सहित विदेशों में भी विशिष्ट पहचान है।

राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केन्द्र , सिल्ली का गठन वर्ष 2011 में छऊ नृत्य के मानभूम शैली के संरक्षण एवं विकास के लिये किया गया था। सम्प्रति यह सिल्ली क्रीडांगण में अवस्थित है। इस संस्थान में मानभूम शैली के प्रशिक्षण की सुविधा है।

उपर्युक्त संस्थाओं की गतिविधियों के लिये निम्न राशि प्रस्तावित है:–

Øx	laLFkk dk uke		**T.S.P.**
1.	झारखण्ड कला मंदिर (राँची, दुमका)	:	70.00 लाख
2.	राजकीय छउ नृत्य कला केन्द्र, सरायकेला	:	30.00 लाख
3.	राजकीय मानभूम छउ नृत्य कला केन्द्र, सिल्ली	:	35.00 लाख
		dqy %	135-00 yk[k

उपर्युक्त हेतु रू० 135.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(ii) lkaLd`frd lgk;rk vuqnku %& राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कला एवं सांस्कृतिक प्रक्षेत्रों में कई स्वैच्छिक संस्थान कार्य कर रहा है। उक्त स्वैच्छिक संस्थाएं सांस्कृतिक वातावरण तथा सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। स्वैच्छिक संस्थानों को अनुदान (आर्थिक सहायता) प्रदान किया जाना है। कुछ कलाकार बेहतर जीवन के लिए SHG का निर्माण किये हैं, जिसे भी आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त हेतु रू० 265.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(iii) vkVZ xSyjh] vkWMªs gkml] jk¡ph %& ऑड्रे हाउस का एक खुबसुरत हेरिटेज के रूप में पहचान है। यह रांची में अवस्थित है। वर्तमान में यह राजभवन का हिस्सा है। यह भवन 150 वर्ष पुराना है जो ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है।

इसका निर्माण वर्ष 1855–56 में कैप्टन हैनिटन एक बिट्रिश अधिकारी द्वारा किया गया था । यह लकड़ी तथा मिट्टी की सामग्रियों से बना अनुपम भवन है। अविभाजित बिहार के समय ग्रीष्म काल में ऑड्रे हाउस सचिवालय के रूप में कार्यरत रहा है। वर्तमान राजभवन के निर्माण के पूर्व यह राज्यपाल सचिवालय के रूप में भी कार्यरत रहा है।

ऑड्रे हाउस उन चुन्दिा धरोहर में शामिल है जो राँची में स्थित है। राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय का एक उच्च कलाकृत्ति इस धरोहर में समाहित है। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा इसे संरक्षित एवं विकसित किया गया है। उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान करने हेतु इस आर्ट गैलरी के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

इस सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन दिनांक 09.01.2016 को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया है और इसे झारखण्ड राज्य की जनता को समर्पित किया गया। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहां किया जा रहा हैं

उपर्युक्त हेतु रू० 100.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(iv) x| : f'k"; ijEijk %& यह नई योजना है। इस योजना के तहत स्थापित सांस्कृतिक गुरूओं द्वारा विलुप्त होते विभिन्न सांस्कृतिक शैलियों की जानकारी उभरते हुए कलाकारों को देने हेतु इस योजना की शुरूआत की जानी है उन्हें गुरूओं को मानदेय के रूप में राशि देनी पड़ेगी।

उपर्युक्त हेतु रू० 20.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

mi;|ä ;kstuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 520-00 yk[k :0 dk mic/k iLrkfor g ftle l 275-00 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k= d fy; 25-00 yk[k :å vuqlfpr tkfr;k d fy, fo'k"k ?kVd ;kstuk d fy, ,o 220-00 yk[k :0 vU; mi;kstuk i{k= d fy; gkxA

3- <u>>kj[k.M dyk vdkneh dk xBu%</u> 2205

झारखण्ड कला अकादमी का संगीत, नृत्य, नाटक, विभिन्न पारम्परिक भाषा/साहित्य, चित्रकला, वस्तुकला एवं क्राफ्ट के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास करने हेतु झारखण्ड कला अकादमी का गठन किया जा रहा है।

mi;|ä ;kstuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 25-00 yk[k :0 dk mic/k iLrkfor g ftle l 10-00 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k= d fy; 5-00 yk[k :å vuqlfpr tkfr;k d fy, fo'k"k ?kVd ;kstuk d fy, ,o 10-00 yk[k :0 vU; mi;kstuk i{k= d fy; gkxA

4- <u>{k=h; tutkrh; Hkk"kk ,o lkLdfrd iquRFkku dUn %</u>2205

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत लगभग 09 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रचलित है। जैसे – हो, मुण्डारी, संथाली, कुरूख, उरांव, कुलमाली, पंचपरगनिया इत्यादि। इस योजना के तहत विभाग द्वारा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के विकास हेतु एक केन्द्र की स्थापना की जा रही है। चाईबॉसा में ''हो'' भाषा के लिए एक क्षेत्रीय भाषा और सांस्कृतिक उत्थान केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है।

mi;|ä ;kstuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 25-00 yk[k :0 dk mic/k çLrkfor gA ble l 20-00 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k= ,o 5-00 yk[k :0 vU; {k=h; mi;kstuk i{k= d fy; gkxkA

5- <u>lkLdfrd dY;k.k ;kstuk ,o lkLdfrd idk'ku%</u> 2205

कलाकारों को संरक्षण हेतु निम्नलिखित कल्याण योजनाओं क्रियान्वित की जा रही है :–

(I) x.kekU; dykdkjk d fy, lkLdfrd lEeku %& कला के संरक्षण हेतु गणमान्य कलाकारों को सम्मानित किया जाता है

उपर्युक्त हेतु रू० 20.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(II) dyk] Hkk"kk ,o Mªkek gsrq dk;Z'kkyk %& कार्यशाला का आयोजन किया जाता है इस कार्यक्रम के लिए निम्न बजट उपबंध किया जा रहा है।

उपर्युक्त हेतु रू० 50.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(III) dykdkjks dks fpfdRlk vuqnku %& गंभीर रूप से बिमार कलाकारों द्वारा अपने–कला का प्रदर्शन नहीं किया जाता है इससे कलाकारों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कला भी प्रभावित होती है। इस योजना के तहत कलाकारों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

उपर्युक्त हेतु रू० 5.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(IV) fcekj@cqtqx dykdkjks dks ekfld isa'ku %& बहुत सारे कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा हैं लेकिन बिमारी तथा उम्रदराज होने के कारण अब वे कलाकार प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जिसके कारण कलाकारों को आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ता है। मासिक पेंशन योजना से उन्हें आर्थिक सुरक्षा पुरा होगा।

उपर्युक्त हेतु रू० 10.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(V) >kj[k.M dh lkaLd`fr ij o`Ùk fp= fuekZ.k %& राज्य में बहुत ऐसे कला हैं जो विलुप्त स्थिति में हैं। उन कलाओं का संरक्षण वृत्त चित्र द्वारा किया जाना है।

उपर्युक्त हेतु रू० 50.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(VI) lkaLd`frd izdk'ku %& प्रत्येक वर्ष विभिन्न तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसे मासिक पत्रिका तथा सांस्कृतिक पुस्तक के रूप में एकिकृत किया जाता है। कला संस्कृति क्षेत्र में सांस्कृतिक प्रकाशन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

उपर्युक्त हेतु रू० 15.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(VII) =ekfld lksyks vkVZ izn'kZuh dk vk;kstu %& राज्य को विजुअल आर्टस् को बढ़ावा देने हेतु त्रैमासिक सोलो आर्ट का प्रदर्शनी किया जाना है।

उपर्युक्त हेतु रू० 20.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

mi;qZä ;kstuk ds fy, foÙkh; o"kZ 2016&17 ds fy, 170-00 yk[k :0 dk mica/k izLrkfor gS ftlesa ls 80-00 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k= ds fy;s 10-00 yk[k :å vuqlwfpr tkfr;ksa ds fy, fo'ks"k ?kVd ;kstuk ds fy, ,oa 80-00 yk[k :0 vU; mi;kstuk i{k= ds fy;s gksxkA

6- <u>lkaLd`frd Hkou rFkk lkeqnkf;d dk fuekZ.k ,oa lkeqnkf;d rFkk cgqmís'kh; lkaLd`frd dsUnzksa dh lqj{kk ,oa j[k&j[kko% 4202</u>

झारखण्ड में अखड़ा एवं धुमकुड़िया भवन बहुत लोकप्रिय है। अखड़ा में ग्रामिणों द्वारा संगीत एवं नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह अखड़ा एवं धुमकुड़िया भवन गांव का एक सांस्कृतिक केन्द्र होता है। ग्रामीण कलाकारों यह पारम्परिक कला केन्द्र है। इस योजना के तहत इन भवनों को स्थापित तथा पुर्नत्थान किया जाता है। इस योजना के तहत अन्य सांस्कृतिक केन्द्रों को भी स्थापित किया जाना है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

राज्य के कई जगहों जैसे गेमों, रामगढ़, करमाटॉड़ (जामताड़ा) गिरिडीह आदि में स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े कई जगह हैं जिसे सहेजने की जरूरत हैं। इस उद्देश्य से इन जगहों पर स्वतंत्रता आन्दोलन के संग्रहालय निर्माण किया जाना है।

राँची में बहुद्देशीय सांस्कृतिक भवन के रख–रखाव तथा सुरक्षा के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत डॉ० रामदयाल मुण्डा कला भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन के रख–रखाव सैन्दीकरण तथा बागवानी इत्यादि के लिए राशि की आवश्यकता होगी। दुमका, सिल्ली तथा सरायकेला में इसी तरह के केन्द्रों के लिए राशि की आवश्यकता होगी।

राज्य संग्रहालय, राँची तथा नया संग्रहालय का निर्माण/रख–रखाव इसी शीर्ष के अधिन है।

mi;ä ;ktuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 750-00 yk[k :0 dk mic/k iLrkfor g ftle l 500-00 yk[k :0 tutkrh; mi;ktuk i{k= d fy; 50-00 yk[k :å vuqlfpr tkfr;k d fy, fo'k"k ?kVd ;ktuk d fy, ,o 250-00 yk[k :0 vU; mi;ktuk i{k= d fy; gkxA

7- ijkrkfRod xfrfof/k;k ,o ;ktuk,¡ % 2205

इस योजना के तहत राज्य के सारी गांवों तक पुरातात्विक सर्वेक्षण/अन्वेषण, पुरातात्विक जागरूकता के लिए राष्ट्रीय पुरातात्विक संगोष्ठी, पुरातात्विक अध्ययन यात्रा तथा अन्वेषण सह प्रशिक्षण योजना, पुरातात्विक प्रकाशन तथा पुरातात्विक प्रदर्शनी इत्यादि को शामिल किया गया है।

इस योजना के तहत एक पुरातात्विक पार्क के शामिल किया जाना है। उक्त पार्क में पर्यटक तथा आम व्यक्तियों के लिए पुरातात्विक स्मारक चिन्ह स्थापित किया जाना है।

mi;ä ;ktuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 70-00 yk[k :0 dk mic/k iLrkfor g ftle l 35-00 yk[k :0 tutkrh; mi;ktuk i{k= d fy; 5-00 yk[k :å vuqlfpr tkfr;k d fy, fo'k"k ?kVd ;ktuk d fy, ,o 30-00 yk[k :0 vU; mi;ktuk i{k= d fy; gkxA

8- lxgky; dh xfrfof/k;k dk fodkl % 2205

इस योजना के लिए दो दिनों के लिए विद्यार्थियों के बीच विचार विमर्श तथा सेमिनार का आयोजन हजारीबाग, ईटखोरी, पाटकूम (चांडिल), दुमका तथा राज्य के अन्य स्थलों पर आयोजित किया जायेगा। इसके साथ संग्रहालय की गतिविधियों के बढ़ावा हेतु तीन दिनों का राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जायेगा।

उपर्युक्त हेतु रू० 110.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है जिसमें राज्य संग्रहालय, होटवार, रांची के लिए राशि 100.00 लाख एवं दुमका संग्रहालय के लिए राशि 10.00 रू० प्रस्तावित है।

mi;ä ;ktuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 110-00 yk[k :0 dk mic/k iLrkfor g ftle l 60-00 yk[k :0 tutkrh; mi;ktuk i{k= d fy; 5-00 yk[k :å vuqlfpr tkfr;k d fy, fo'k"k ?kVd ;ktuk d fy, ,o 45-00 yk[k :0 vU; mi;ktuk i{k= d fy; gkxA

9- jkT;Lrjh;@ftyk Lrjh; dyk lLdfr ifj"kn ¼ub ;kstuk½ % 2205

राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय कला संस्कृति परिषद् का गठन किया जा रहा हैं जिसके द्वारा जनजातीय समकालीन सांस्कृतिक तथा कलाकृत्तियों को बढ़ावा तथा संरक्षण दिया जाना है।

mi;ä ;kstuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 80-00 yk[k :0 dk mic/k iLrkfor g ftle l 50-00 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k= d fy; 10-00 yk[k :å vuqlfpr tkfr;k d fy, fo'k"k ?kVd ;kstuk d fy, ,o 20-00 yk[k :0 vU; mi;kstuk i{k= d fy; gkxA

10- lkLdfrd ijke'kh xfrfo/k ¼ub ;kstuk½ % 2205

इस योजना के तहत जनजातीय तथा समकालीन संस्कृति तथा कलाकृत्तियों के संरक्षण एवं बढ़ावा देने हेतु सांस्कृतिक परामर्शी रखा जाना है।

mi;ä ;kstuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 65-00 yk[k :0 dk mic/k iLrkfor g ftle l 30-00 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k= d fy; 25-00 yk[k :å vuqlfpr tkfr;k d fy, fo'k"k ?kVd ;kstuk d fy, ,o 10-00 yk[k :0 vU; mi;kstuk i{k= d fy; gkxA

11- lkLdfrd fun'kky; dk xBu % 2205

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के सुचारू संचालन हेतु निदेशक, संस्कृति, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु राशि प्रावधानित है :–

1.	वेतन	:	17.00 Lakhs
2.	संविदा भत्ता	:	2.50
3.	वाहन एवं ईंधन	:	5.00
4.	कार्यालय व्यय एवं अन्य व्यय	:	5.00
5.	मशीनरी उपकरण	:	2.00
6.	यात्रा भत्ता	:	2.50
7.	टेलीफोन, फैक्स एवं इन्टरनेट	:	1.00
	Total	:	**35.00** Lakhs

mi;ä ;kstuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 35-00 yk[k :0 iLrkfor g] tk vU; {k=h; mi;kstuk i{k= d fy; gkxkA

12- jfoUn Hkou i{kkxg dk fuekZ.k ,o LFkkiuk % 2205

भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के अधीन रवीन्द्र भवन प्रेक्षागृह की स्थापना की एक योजना है। भारत सरकार इस योजना के लिये महत्तम 15.00 करोड़ रूपये विमुक्त करती है। अनुपात 50:50 है। राँची में रवीन्द्र भवन प्रेक्षागृह की स्थापना की विभाग की योजना है। यह उपबंध भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कला–संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न कार्यशालाओं के आयोजन हेतु उपलब्ध है। व्यय का अनुपात 50:50 का है। राज्य सरकार की संगीत, नृत्य, वाद्ययंत्र निर्माण, परिधान एवं

आभूषण निर्माण के साथ–साथ दृश्य, मूर्त्त एवं अमूर्त्त कला विधाओं पर विभिन्न कार्यशालाओं के आयोजन की योजना है।

<u>dUn ik;kftr ;ktuk d fy; jkT;k'k **(50%)**</u>% mi;ä ;ktuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 250 yk[k :0 dk mic/k iLrkfor g ftle l 10 yk[k :0 tutkrh; mi;ktuk i{k= d fy, ,o 240 yk[k :0 vU; mi;ktuk i{k= d vrxr 0;; fd;k tk;xkA

<u>dUn ik;kftr ;ktuk d fy; dUnk'k **(50%)**</u>% mi;ä ;ktuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 250 yk[k :0 dk mic/k iLrkfor g ftle l 15 yk[k :0 tutkrh; mi;ktuk i{k= e ,o 235 yk[k :0 vU; {k=h; mi;ktuk i{k= e 0;; fd;k tk;xkA

<u>dUnh; dr ;ktuk **(100%)**</u>

1. jk"Vh; lok ;ktuk% 2204

इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्य कराया जाना है:–

- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
- पर्यावरण संरक्षण एवं वनरोपण कार्यक्रम
- ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराना।
- महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- सूचना के अधिकार एवं इसके महत्व पर कार्यक्रम आयोजित करना।
- शिक्षा एवं साक्षरता
- आपदा प्रबंधन
- स्वयं सेवकों द्वारा साईकिल के प्रयोग पर बल

<u>dUnh; dr ;ktuk **(100%)**</u>% mi;ä ;ktuk d fy, foÙkh; o"k 2016&17 d fy, 150 yk[k :0 dk mic/k iLrkfor g ftle l 100 yk[k :0 tutkrh; mi;ktuk i{k= e ,o 50 yk[k :0 vU; {k=h; mi;ktuk i{k= e 0;; fd;k tk;xkA

2- <u>jktho xk/kh ØhMk vfHk;ku& **RGKA¼100%½**</u>% 2204

राजीव गांधी क्रीड़ा अभियान योजनानुसार प्रत्येक जिला में विभिन्न क्रीड़ा विधाओं के लिये 80+80 = 160 लाख रूपये के व्यय पर 6–7 एकड़ भूमि पर क्रीड़ा परिसर होना आवश्यक है जिसमें व्यायाम (एथलेटिक्स), तीरंदाजी, बैडमिन्टन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैण्डबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो–खो एवं वॉलीबॉल के लिये बहिर्द्वार क्रीड़ा स्थल एवं मुक्केबाजी, कुश्ती, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन एवं मल्टी जिम के लिये अन्तर्द्वार क्रीड़ा भवन रहना है। इसके अतिरिक्त, यह भी निदेशित है कि युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा 15 लाख रूपये की क्रीड़ा सामग्री एवं 1.5 लाख रूपये के उपस्कर भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

उपर्युक्त उद्देश्य के लिये आवश्यक राशि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार अधिनियम (मनरेगा), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) एवं I.P.P.E इत्यादि विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं द्वारा उपलब्ध कराई जायगी।

राजीव गांधी क्रीड़ा अभियान क्रीड़ा प्रशिक्षक की नियुक्ति द्वारा युवाओं के समग्र विकास के अभिन्न अंग के रूप में राज्य के 4423 पंचायतों में फैले सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में क्रीड़ा गतिविधियों में उत्कृष्टता लाना चाहता है। वर्त्तमान में, अग्र परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) के रूप में यह राज्य के 260 प्रखण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है। महिलाओं पर विशेष ध्यान देने हेतु खेल पंचांग के अनुसार राजीव गांधी खेल अभियान महिला क्रीड़ा प्रतिस्पर्द्धा आयोजित की जाती है जिसमें प्रखण्ड/जिला/ राज्य स्तर पर खिलाड़ी भाग लेते हैं एवं राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 ग्रास–रूट स्तरीय क्रीड़ा गतिविधियों एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर '' क्रीड़ा में उत्कृष्टता को बढ़ावा'' के द्वारा '' क्रीड़ा की व्यापकता'' पर विशेष ध्यान दे रही है। अतः, यह आवश्यक है कि क्रीड़ा के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय, ताकि यह युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागृत, धनात्मक एवं उत्पादक बना सके एवं अन्य सामाजिक जीवन में झलक सके।

सभी ग्रामीण प्रतिस्पर्द्धाओं के लिये केन्द्र सरकार शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध करायेगी। परन्तु खेलों के आयोजन संबंधी आंशिक व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।

5 वर्षों की अवधि में क्रमबद्ध रूप से 24 जिलों के सभी 260 प्रखण्ड इससे आच्छादित होंगे। प्रखण्ड स्तरीय क्रीड़ा परिसर के निर्माण हेतु 50% निधि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार अधिनियम (MNREGA) के अंतर्गत एवं 50% निधि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF-Backward Regions Grant Fund) तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) से निम्न विवरणी के अनुसार प्राप्त होगीः–

Øekad	;kstuk dk uke	ifr'kr	vkPNkfnr ftyk dh l[;k	vkPNkfnr i[k.Mk dh l[;k
1.	MNREGA	50%	24	260
2.	ACA	50%	17	201
3.	BRGF	50%	7	59

<u>dUnh;dr ;kstuk **(100%)**</u>¼ mi;qä ;kstuk d fy, foÙkh; o"k 2015&16 d fy, 105 yk[k :0 dk mic/k iLrkfor g ftle l 70 yk[k :0 tutkrh; mi;kstuk i{k= d fy; 10 yk[k :å vulfpr tkfr;k d fy, fo'k"k ?kVd ;kstuk d fy, ,o 25 yk[k :0 vU; mi;kstuk i{k= d fy; gkxA

dyk] lLdfr] [kydn ,o ;okdk;Z lHkkx dh foÙkh; o"k 2016&17 gr jkT; ;kstuk en dh 9750-00 yk[k :i;] dUnk'k 250-00 yk[k :å rFkk dUnh;dr 255-00 yk[k :å lfgr dy 10255-00 yk[k ¼,d vjc nk djkM ipiu yk[k½ :å ek= ctV mic/k iLrkfor gA

foHkkxh; ¼i;Vu iHkkx½ dh izeq[k ifjlEifr;k¡

Sl.No.	Name of Schemes	District
1.	Way side Amenity, Madhupur	Deoghar
2.	Way side Amenity, Chas More	Bokaro
3.	Way side Amenity, Aaram Tamar	Ranchi
4.	Way side Amenity, Kandra	West Singhbhum
5.	Way side Amenity, Bagodar	Giridih
6.	Way side amenity Hata	E.Singhbhum (Jamshedpur)
7.	Way side amenity Chandawa	Latehar
8.	Way side amenity Tatijharia	Hazaribagh
9.	Way side amenity Trikut More	Deoghar
10.	Way side amenity Maheshpur	Pakur
11.	Way side amenity Manjha Toli, Gumla	Gumla
12.	Tourist Information Center Hazaribagh	Hazaribagh
13.	Tourist Information Center Jamshedpur	East Singhbhum
14.	Tourist Information Center Madhuban	Giridih
15.	Tourist Information Centre Mcluskiegunj	Ranchi
16	Tourist Information Centre Daltonganj	Palamau
17	Tourist Information Centre Deoghar	Deoghar
18	Tourist Information Centre Bokaro	Bokaro
19	Tourist Information Centre Rajmahal	Sahebganj
20	Tourist Complex, Hesadih	West Singhbhum
21	Tourist Complex, Palamau	Palamau
22	Tourist Complex, Sakchi Vihar, Jamshedpur	East Singhbhum
23	Tourist Plaza, Betla	Latehar
24	Jungle Huts, Betla	Latehar
25	Sanskar Bhawan, Barhet	Sahebganj
26	Ganga Bhawan Rajmahal	Sahebganj
27	Sanskar Bhawan Amreshwar Dham	Khunti
28	Banquet hall, Urwan	Koderma
29	Tourist Complex, Rajrappa	Ramgarh
30	Shopping Complex & Restaurant etc. at Rajrappa	Ramgarh
31	Tourist Complex No.-2 Rajrappa	Ramgarh
32	Food Court at Urwan	Koderma
33	Health Club / Tourist Complex Urwan	Koderma
34	Rural Tourism Project Amadubi	Jamshedpur
35	Rural Tourism Project Bhelwara	Hazaribagh
36	Restaurant-cum-hall, Palkot	Gumla
37	Construction of Railing & shed above the steps of Pahari Mandir,	Ranchi
38	Children Park, Kudarsai	Saraikela-Kharsawan
39	Vivah Mandap & Tourist Lodge, Chougonadham, Chhatterpur	Palmu
40	Multipurpose hall,	Simdega
41	Multipurpose hall, Budhai	Deoghar
42	Multipurpose hall, Pathrol	Deoghar
43	Tourist resort, Bhelwara	hazaribagh
44	Multipurpose hall, Yogani sthan	Godda
45	Multipurpose hall, Shivpur, Ratneshwar Dham	Godda
46	Multipurpose hall, Dhamsanye temple,	Godda

47	Multipurpose hall, Harihardham	Giridih
48	Community Centre, Tourist Conveniance Complex, Dhorimata Mariyam	Bokaro
49	Children Park, Sidgora	E. Singhbhum
50	Children Play Zone, Dasam Water Fall	Ranchi
51	Children Play Zone, Jonha Water Fall	Ranchi
52	Children Play Zone, Hundru Water Fall	Ranchi

झारखण्ड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल

————————————

झारखण्ड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल

Sl.No.	Site/Location
1	Megalithic Sites, Ramgrah
2	Mahadani Shiv Temple, Bero, Ranchi
3	Ancestral House of Shahid Budhu Bhagat, Lohardaga
4	Tanginath, Gumla
5	Megalithic Sites, Barkagaon, Hazaribagh
6	Jaganathpur Temple & Other Heritage structures at Saraikela Kharsawan District
7	GEL Church, Govindpur
8	Palkot Ruins, Gumla
9	Anjan Dham, Gumla
10	Shayamsunder Temple, Chakuia, East Singhbhum
11	Vasudeo Rai Temple, Korambe, Lohardaga
12	Sakrigali Ruins (Teliagarhi Fort, etc.) Sahibganj
13	Pathargama remains, Godda
14	Panchit Monuments/Panda Group of temples, Nirsa, Dhanbad
15	Vishnugarh & Ichak Temple, Hazaribagh
16	Pithoria Mosque, Pithoria, Ranchi
17	Dalbera Temple, Silli, Ranchi
18	Archaeological Remians of Rajmahal
19	Palamu Fort & Shahpur Fort
20	Mundro Hills, Sahibganj
21	Archaeological Sites of Itkhori, Chatra
22	Archaeological Sites of Berhet, Bhognath, Santhal Pargana
23	Audrey House, Ranchi
24	Bibhutibhushan Bandopadhyay residence of Ghatshila
25	Koleshawari Hills, Huntergunj, Chatra
26	Old Birsa Munda Jail, Ranchi
27	Navratangarh, Gumla
28	Heritage Soldier Galleries

विभाग (खेलकूद प्रभाग) द्वारा निर्मित झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में स्टेडियमों की सूची

Ø-l-	ftyk dk uke	LVfM;e dk uke
I	*II*	*III*
1	देवघर	देवघर जिलान्तर्गत सारठ में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम
2	गढ़वा	रामासाहु उच्च विद्यालय गढ़वा में इण्डोर स्टेडियम
		भवनाथपुर उच्च विद्यालय, भवनाथपुर के प्रांगण में स्टेडियम
3	धनबाद	धनबाद जिला अंतर्गत तोपचाँची प्रखण्ड में स्टेडियम
4	गिरिडीह	गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार प्रखण्ड में मिनी स्टेडियम
		गिरिडीह प्रखण्ड में इंडोर स्टेडियम
5	हजारीबाग	बरही प्रखण्ड में स्टेडियम
6	सिमडेगा	सिमडेगा जिला के कोलेबिरा प्रखण्ड में स्टेडियम
7	जामताड़ा	नारायणपुर प्रखण्ड में स्टेडियम
8	साहेबगंज	बरहेट प्रखण्ड के भोगनाडीह में स्टेडियम
		उधवा प्रखण्ड के उ०वि० उधवा में स्टेडियम
9	प० सिंहभूम	जगन्नाथपुर प्रखण्ड में स्टेडियम
		चाईवासा में स्टेडियम
		मझगॉव में स्टेडियम
10	राँची	माण्डर प्रखण्ड में स्टेडियम
		बेड़ो प्रखण्ड में स्टेडियम
		रातू इन्टर कॉलेज में स्टेडियम
		नामकुम टाटीसिल्वे जैप–2 ग्राउण्ड में स्टेडियम
		बिरसा मुण्डा फुटबॉल स्टेडियम
11	गुमला	अल्बर्ट एक्का स्टेडियम
		गुमला में इन्डोर स्टेडियम
12	लातेहार	बालूमाथ प्रखण्ड में स्टेडियम
13	पूर्वी सिंहभूम	पोटका प्रखण्ड में स्टेडियम
		मुसाबनी प्रखण्ड में स्टेडियम
14	लोहरदगा	लोहरदगा जिला में अरू स्टेडियम
15	पाकुड़	पाकुड़ जिलान्तर्गत रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम
16	सरायकेला – खरसावॉ	चाण्डिल प्रखण्ड में स्टेडियम
		सरायकेला प्रखण्ड अंतर्गत मुख्यालय में इन्डोर स्टेडियम
17	चतरा	हंटरगंज में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम
		मयूरहण्ड (ईटखोरी) प्रखण्ड में स्तरीय स्टेडियम
18	पलामू	विश्रामपुर प्रखण्ड आर॰सी॰आई॰टी॰ इन्जिनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में स्टेडियम
19	दुमका	सरैयाहाट प्रखण्ड में स्टेडियम
		काठीकुण्ड प्रखण्ड में स्टेडियम
20	बोकारो	बोकारो जिलान्तर्गत कसमार प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम
		बोकारो जिलान्तर्गत चन्दनक्यारी प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम